

Tanisha Lidenow 08108122



## भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)  
प्रधान कार्यालय : सिडकी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम

विवरण	समाप्त तिमाही				समाप्त वर्ष
	30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022	
1 अर्धित धन (क)+(ख)+(ग)+(घ)	समीक्षित	लेखा परीक्षित	समीक्षित	लेखा परीक्षित	(₹ करोड़)
(क) अधिर्भा/विलो पर धन/बहु	3,045	2,471	2,175	8,715	
(ख) निवेशों पर आय	2,488	2,087	1,837	7,475	
(ग) पारि षेक में अतिशेष राशियाँ और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर धन	166	124	115	461	
(घ) अन्य	391	260	223	779	
2 अन्य आय	68	184	55	424	
3 कुल आय (1+2)	3,113	2,655	2,230	9,139	
4 धन व्यय	1,911	1,547	1,508	5,702	
5 परिचालन व्यय (I)+(II)	170	203	113	600	
(I) कर्मचारी लागत	114	104	88	370	
(II) अन्य परिचालन व्यय	56	99	25	230	
6 प्रायधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	2,081	1,750	1,621	6,302	
7 प्रायधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	1,032	905	609	2,837	
8 प्रायधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनर्प्राप्त धन के अलावा)	(4)	162	(22)	352	
9 असाधारण मदें	-	-	-	(97)	
10 सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) (7-8+9)	1,036	743	631	2,388	
11 कर संबंधी व्यय (डीटीए / डीटीएल के पश्चात निकल) (10-11)	260	166	141	430	
12 सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निकल लाभ (+) / हानि (-) (10-11)	776	577	490	1,958	
13 असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	
14 अर्धित धन निकल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	776	577	490	1,958	
15 कुल षेकडटी शेर पूंजी (अर्धित धन ₹10 प्रति शेर)	569	569	532	569	
16 अर्धितधियों पुनर्स्थापन अर्धितधियों को छोड़कर	24,492	23,716	20,952	23,716	
17 वित्तीयपाठक अनुपात					
(I) भारत सरकार द्वारा धारित शेरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	15.40%	20.85%	
(II) पूंजी धारिता अनुपात	21.53%	24.28%	30.93%	24.28%	
(III) प्रति शेर आय (रुल और परतल) (इंजीयन)	13.64	10.83	9.21	36.79	
(IV) गैर-निष्पादित आरिस्त अनुपात					
a) गैर-निष्पादित आरिस्त की सकल राशि	220	218	343	218	
b) गैर-निष्पादित आरिस्त की निवल राशि	129	132	218	132	
c) सकल गैर-निष्पादित आरिस्त का %	0.11	0.11	0.26	0.11	
d) निवल गैर-निष्पादित आरिस्त का %	0.06	0.07	0.17	0.07	
(V) आरिस्तों पर प्रतिफल (कर पश्चात) वार्षिकीकरण	1.20%	0.96%	1.08%	0.96%	
(VI) निवल गतिधत	24,150	23,497	21,185	23,497	
(VII) षकत धारण योग्य षकत शेर	-	-	-	-	
(VIII) पूंजी धारण विधत	-	-	-	-	
(IX) षकत धारण विधत	-	-	-	-	
(X) षण - षेकडटी अनुपात *	4.72	3.22	1.23	3.22	
(XI) कुल परिधतियों के लिए कुल षण (%) *	39.10	30.61	14.96	30.61	

\* षण (यस को छोड़कर) कुल धन का दर्शाता है

### टिप्पणियाँ:

- 1 षेक डन विधत परिणामों को तैयार करने में षेकडटी महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक विधत विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2 षिदेशक नंडन द्वारा 05 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी षेकड में उपर्युक्त परिणाम समीक्षित किए गए हैं।
- 3 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े वित्त वर्ष 2021-22 के संक्षेप में लेखा परीक्षित आंकड़ों और 31 दिसंबर, 2021 तक प्रकाशित वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम भारतीय वित्त षेक से जारी वित्तीय मानदंडों के आधार पर गैर-निष्पादित आरिस्तों, मानक आरिस्तों तथा षिदेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद निकाले गए हैं। आरंभ, आरंभिक कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान, जहाँ भी अपेक्षित है, अनुमानित/समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वार्षिक में समायेजन के अधीन हैं।
- 5 कोविड-19 महामारी षेक के परिचालन और परिधतों की गुणवत्ता को षिस हद तक प्रभावित करती रहेगी, वर्तमान में बत रहे और साथ ही भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा।
- 6 कोविड-19 के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, षेक ने एक षिदेशपूर्ण उपय के रूप में संक्षेपण के कुछ खंडों पर, षिने षेक के आरिस्त मूल्यांकन के आधार पर दबावपूरत माना गया था, ₹151.03 करोड़ के आरिस्त-मानक संघर्षी प्रावधान किए हैं।
- 7 \* षण/परिधतों के हस्तारण पर षकतीय षिधत षेक के 2.4 दिसंबर, 2021 के मास्टर षिदेश के अनुसार 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान हस्तारित / अधिधत किए गए षणों को विवरण नीचे दिया गया है:
  - 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान:
    - 1 षेक ने असहमत के माध्यम से वूक न होने वाले षिधी भी षण का अधिधत नहीं किया है।
    - 2 षेक ने षिधी भी गैर-निष्पादित आरिस्तों (यूपीए) को परिधत पुनर्निर्णय कर्मियों (एआरसी) / अनुपूरत हस्तारणियों / अन्य हस्तारणियों को स्थानांतरित नहीं किया है।
    - 3 षेक ने षिधी भी दबावपूरत षण का अधिधत नहीं किया है और न ही षिधी वूक / षिदेश उल्लेख खातों (एसएसए) के षण को स्थानांतरित किया है।
    - 4 षेक ने एआरसी को हस्तारित किए गए दबावपूरत षणों के संक्षेप में परिधत पुनर्निर्णय कर्मियों (एआरसी) द्वारा जारी सुझा राशियों (एसआर) में षिधत नहीं किया है।
  - निवल अनर्क आरिस्तों के षिकलन के लिए वत प्रावधान की विचार में नहीं लिया गया है।
- 8 षिधी अधिधत के आंकड़ों को वर्तमान अधिधत के वर्गीकरण के अनुसार बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्संश्लित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- 9 भारतीय वित्त षेक के दिनांक 15 मई, 2019 के पय के अनुसार, अपनी सूचना तक एआईएसआई के लिए आरंभिक-एएस का षिधात्मक आरंभिक कर दिया गया है।
- 10 भारतीय वित्त षेक के दिनांक 15 मई, 2019 के पय के अनुसार, अपनी सूचना तक एआईएसआई के लिए आरंभिक-एएस का षिधात्मक आरंभिक कर दिया गया है।
- 11 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा की गई है।

दिनांक: अगस्त 05, 2022  
स्थान: मुंबई